निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 52/2025
दायरा दिनांकः–23.06.2025
निर्णय दिनांकः– 16.9.25

उनवान

1. राधाकिशन आयु 50 वर्ष पुत्र नाथु जाति कुम्हार निवासी ग्राम बापचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 16.9.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायणलाल चौरसिया – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 287/264 खसरा नम्बर 153 रकबा 0.4173 हैक्टयर भूमि ग्राम बापचा मे स्थित है जिसमे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रार्थी ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी का नाम उक्त खाते मे राजस्व कर्मचारियो की गलती से राधाकिशन के स्थान पर बाबू दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी राधाकिशन के नाम से जानते है। प्रार्थी का नाम समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक डायरी मे प्रार्थी का नाम राधाकिशन पुत्र नाथू दर्ज है। प्रार्थी का नाम उक्त खाते में बाबू दर्ज होने से प्रार्थी राजस्थान सरकार की योजनाओ व मुआवजा राशि का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है। न्यायहित मे उकत खाते मे प्रार्थी खातेदार बाबू पुत्र नाथू जाति कुम्हार के स्थान पर राधाकिशन पुत्र नाथु जाति कुम्हार निवासी बापचा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 287 पेश की गई। फोटो प्रति फोटो पहचान आधार कार्ड जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 78 बैंक पास बुक जॉब कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

हित है विवादित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से राधाकिशन के स्थान पर बाबू दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम राधाकिशन है प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम राधाकिशन दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में बाबू गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार से प्राप्त योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है प्रार्थी का अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बाबू पुत्र नाथु के स्थान पर राधाकिशन पुत्र नाथु दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 287 में अपना नाम बाबू के स्थान पर राधाकिशन दर्ज करवाना चाहता है जिसके लिए राजस्व रिकार्ड का अध्ययन किया गया। तो प्रार्थी का नाम बाबू विरासत के नामान्तरण के जर्ये आया था। लेकिन बाबू के स्थान पर राधाकिशन किया जाना उचित है क्योकि बाबू नाम आम बोलचाल की भाषा में ग्राम वासियों द्वारा विरासत नामान्तरण के समय लिखवा दिया गया था। जबकि उसके दस्तावेजो में राधाकिशन है। इसलिए मौके पर पहुंचा जहां इस खाते के सह खातेदार एवं ग्राम वासियों से पुछा गया तो बताया गया कि बाबू एवं राधाकिशन एक ही व्यक्ति के नाम है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 287 में बाबू पुत्र नाथु हिस्सा 1/4 दर्ज है फोटो प्रति पहचान पत्र आधार कार्ड जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड बैंक पास बुक जॉब कार्ड एवं नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 78 में राधाकिशन पुत्र नाथु हिस्सा 1/4 जाति कुम्हार सा0देह दर्ज.है। प्रार्थी का नाम खाता संख्या 287 में बाबू गलत दर्ज कर दिया गया जबकि अन्य समस्त दस्तावेजो एवं जमाबन्दी खाता संख्या 78 में प्रार्थी का सही नाम राधाकिशन पुत्र नाथु दर्ज है प्रार्थी अपना नाम खाता संख्या 287 में बाबू के स्थान पर राधाकिशन दर्ज करवाना चाहता है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर बाबू व राधाकिशन दोनो नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया है तथा नाम दुरूस्त करने की अनुशंषा की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो एवं नकल जमाबन्दी खाता संख्या 78 एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बाबू के स्थान पर बाबू उर्फ राधाकिशन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा के खाता संख्या 287/264 खसरा नम्बर 153 रकबा 0.4173 है0 में प्रार्थी का नाम बाबू के स्थान पर बाबू उर्फ राधाकिशन पुत्र नाथु दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा जिला बरॉं (राज)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा